(37)

<u>**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**</u>

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–शिवपुरी

निग. 2761-पीबी/15

1. सुघरसिंह पुत्र श्री फोदलिया,
2. कल्याणसिंह पुत्र श्री फोदलिया,
3. माधोसिंह पुत्र श्री फोदलिया,
4. हरी पुत्र श्री फोदलिया,
5. मोहनसिंह पुत्र श्री भरोसी,
6. वीरेन्द्र पुत्र श्री भरोसी,

निवासीगण निजामपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री ..... द्वारा आज दि. 24.8.15 को प्रस्तुत

रीडर
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

अमरसिंह पुत्र श्री अरजुना, निजामपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...... अनावेदक

24/8/15

<u>**न्यायालय तहसीलदार नरवर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 53/2013–14/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2015 एवं 20.08.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**</u>

1. यहकि, अनावेदक द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र तहसीलदार नरवर के न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया कि उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 1209/3 रकवा 0.13 हैक्टेयर के लगभग 0.01 भाग पर जबरन कब्जा आवेदकगण द्वारा कर लिया गया है, इसलिए कार्यवाही कर कब्जा दिलाया जाये।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2761–तीन/2015 जिला शिवपुरी

सुघरसिंह आदि विरूद्ध अमरसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–8–2015	आवेदक अभिभाषक श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा एक आवेदन प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किये जाने का अनुरोध किया। आवेदक अभिभाषक लिखित एवं मौखिक अनुरोध अनुसार प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	